अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध / ई–मेल

संख्या–24 /9–1–2017–119रिट/2011

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 04 जनवरी, 2018

विषय– नागर निकायों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, अपरिहार्य परिस्थितियों में, निर्वाचन न कराये जाने की स्थिति में निकायों के कार्यो के प्रबन्धन हेतु व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–5121/9–1–2017–119रिट/2011 दिनांक– 23 दिसम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–3420/9–1–2017–119रिट/2011 दिनांक 15 जुलाई, 2017 को निरस्त करते हुए नागर निकायों के गठन की अधिसूचनाओं दिनांक 07.12.2017 से एक एक माह के भीतर प्रथम बैठक आहूत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. चूंकि उक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 कतिपय कारणों से बिलम्ब से निर्गत हुआ है। अतएव इस संबंध में सम्यक विचारोपन्त यह निणर्य लिया गया है कि नागर निकायों (नगर निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायतों) में दिनांक 23 जनवरी, 2018 के भीतर प्रथम बैठक आहूत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

Manoj 4.1.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)।
4– समस्त महापौर/नगर आयुक्त, नगर नगर निगम (द्वारा जिलाधिकारी)।
5– वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6.– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

EL-17-Go